

भाग III

संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

14	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	मेसर्स अर्पण फेरो अलायंस द्वारा आवेदित प्रकरण क्रमांक/FP/MP/MIN/19894/2016 में खैरलांजी परिक्षेत्र सामान्य के वनकक्ष क्रमांक P-807, P-809 में आवेदित क्षेत्र 28.02 हेक्टेयर के संबंध में वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट द्वारा दी गई सहमति के आधार पर प्रकरण में अनुशंसा की जाती है।

तिथि : 29/12/2021

स्थान : बालाघाट।

(नरेन्द्र कुमार सनोडिया)

भा.व.से.

मुख्य वनसंरक्षक

बालाघाट वनवृत्त म.प्र.